

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. / 2016 निगरानी

11 ग 3587-II/16

1. मुख्य महाप्रबंधक, एनटीपीसी / व्ही.एस. टी.पी., विन्ध्यनगर, तहसील व जिला सिंगरौली (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन

..... आवेदकगण / निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. ✓ अंजनी प्रसाद पिता सरजू लुहार
2. गूरन पिता क्रोधन लुहार
3. ✓ छोटे पिता क्रोधन लुहार
4. राम अवतार पिता बुधई लुहार (मृत)

वारिसान

(क) शिवकुमार पिता स्व. रामोतार लुहार

(ख) ✓ छोटे पिता स्व. रामोतार लुहार

(ग) राममिलन पिता स्व. रामोतार लुहार

(घ) ✓ जियालाल पिता स्व. रामोतार लुहार

(ङ) ✓ हीरालाल पिता स्व. रामोतार लुहार साकिन झरी जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

(च) फूलमती पत्नि सीताराम पुत्री व. रामोतार लुहार

(छ) ✓ माममती पत्नि सीताराम पुत्री स्व. रामोतार लुहार

5. तिलकधारी पिता बुधई लुहार मृतक
(क) सुभाऊ पत्नि स्व. तिलकधारी लुहार
(ख) ✓ केवला प्रसाद पिता स्व. तिलकधारी लुहार

(ग) ✓ हिसाबी पिता स्व. तिलकधारी लुहार

(घ) ✓ रामनारायण पिता स्व. तिलकधारी लुहार

(ङ) ✓ चरकू पिता स्व. तिलकधारी लुहार

(च) ✓ कुनिया पुत्री स्व. तिलकधारी लुहार

(छ) ✓ कन्याकुमारी स्व. तिलकधारी लुहार

(ज) ✓ सुरेश पिता स्व. तिलकधारी लुहार

7. लालजी लुहार पिता बुधई लुहार साकिन धनहरी

8. ✓ रामप्रसाद बुधई लुहार

साकिन हरका

सभी मूलनिवासी ग्राम सहापुर, तहसील व जिला सिंगरौली

अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्ता



श्री. प्रदीप श्रीवास्तव, का. नं०
द्वारा आज दि. 13-10-16 को
मस्तुत

7000
रजिस्ट्रार ऑफ़
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

269
13-10-16

श्रीवास्तव
प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

3

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश उपखण्ड
अधिकारी सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 02 अ
74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 21.9.16 के

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1147-IV/08 में पारित आदेश दिनांक 2.7.13 के द्वारा आवेदक की निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क इसप्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष ग्राम सहापुरा तहसील सिंगरौली की आराजी खसरा नम्बर 435/1 रकवा 2.50 एकड़ भूमि का प्रतिकर दिलाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.2.2005 द्वारा प्रतिकर भुगतान के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 6.6.08 द्वारा आवेदक की अपील खारिज की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के पैरा 5 में माननीय राजस्व मण्डल ने यह उल्लेखित किया कि मैंने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया इसप्रकार के अभिलेखों एवं आदेशों से स्पष्ट है कि भुगतान आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील प्रकरण का निराकरण अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 6.6.08 द्वारा किया गया।
2. यहकि, माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के पैरा 6 में मैंने प्रकरण के गुण दोषों पर विचार किया, आवेदक द्वारा लिखित बहस में यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 20.01.86 को राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक आर-2183IV/08 में पारित आदेश प्रकरण निम्न तथ्यों द्वारा गण और प्रकरण तहसीलदार को आवेदक एन टी पी सी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :-निगरानी-3587-दो / 2016

जिला-सिंगरौली

मुख्य महाप्रबंधक व म.प्र. शासन विरुद्ध अंजनी प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव एवं अनावेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली, जिला-सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 02/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 25-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>3</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>28/2/2019</p>